न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, डॉ लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 17/2019

वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
दिनेश वैष्णव पुत्र श्यामदास जाति साद निवासी सादो का बास ग्राम जालीवाड़ा कंला तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।		भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री निर्मल कटारिया वादी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

निर्णय

दिनांक : 30.08.2018

वादीगण ने एक वाद पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम जालीवाड़ा कलां पटवार क्षैत्र नानण तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 155 रकबा 4.7327 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि आई हुई है जो खाता सं. नया 204 व पूराना 169 पर इन्द्राजसुदा है, जिसको आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/14 व 1/210 वां हक हिस्सा कानूनन निहीत है । वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम लादुदास व लादुराम अंकित जो कि त्रुटिपूर्ण नाम है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम दिनेश वैष्णव है । वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक डायरी में वादी का सही नाम दिनेश वैष्णव अंकित है । राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भुलवंश सहवन से लादुदास व लादुराम अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवाने का वादी अधिकारी है । वादी द्वारा दिनांक 24.02.2019 को तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादी के पास विकल्प नही है इसलिए वादी का उक्त वाद वास्ते सही नाम लादुदास व लादुराम के स्थान पर दिनेश वैष्णव किये जाने की घोषणा हेतु प्रस्तुत है ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

इस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है :– वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि ग्राम जालीवाड़ा कलां पटवार हल्का नानण भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर की सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 155 रकबा 4.7327 हैक्टयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम लादुदास व लादुराम के स्थान पर दिनेश वैष्णव घोषित किया जावें । अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादी के पक्ष में अता फरमावें ।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम जालीवाड़ा कलां के खाता सं. 204 में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र के आधार पर, हल्का पटवारी चिरड़ाणी की जाचं रिपोर्ट के आधार पर, वादी का नाम लादुदास, व लादुराम के स्थान पर दिनेश वैष्णव पुत्र श्यामदास दुरूस्त किया जावे तो तहसीलदार पीपाड़ शहर को कोई आपत्ति नही है ।

हमने बहस पक्षकारान सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया, जवाब तहसीलदार पीपाड़ शहर के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम जालीवाड़ा कलां के खाता सं. 204 में दर्ज नाम लादुदास व लादुराम के स्थान पर दिनेश वैष्णव पुत्र श्यामदास दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 30.08.2019 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner